राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

बनवारी / रामस्वरूप

तारीख हुक्म	367/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/8/21	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। केवियटकर्ता/रेस्पो. संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री रमेश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। उन्हें नकल उपलब्ध करवाई गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 03/06/2021 जिसमे सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण का जवाब पेश होने तक विवादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना एवं विशिष्ट भू-भाग का बैचान नही किये जाने, के विरुद्द प्रस्तुत की गयी है। इस सन्दर्भ में अपील पत्रावली पर उपलब्ध अप्रार्थीगण/अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 08/07/2021 को मार्किंग की गयी है के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सशर्त आदेश अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने तक के लिये मात्र पारित किया गया था एवं चूँकी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेशी दिनांक 08/07/2021 को अप्रार्थी/प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने से अब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 03/06/2021 स्वत: प्रभावहीन हो गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा इस अपील के माध्यम से उसी आदेश दिनांक 03/06/2021 चुनोती दिए जाने का कोई आधार शेष नही रहता है। अत: अपील अपीलार्थी आधारहीन प्रतीत होने से इस स्तर पर अस्वीकार की जाती है एवं उभयपक्षों को न्यायहित में यह निर्देश दिए जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियत आगामी पेशी दिनांक 03/09/2021 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अग्रिम कार्यवाही हेतु अपना-अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 17/8/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	